न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 03/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/62

अनवान

1. मितेश पिता तुलसीराम ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. श्यामु पत्नी तुलसीराम ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 29.08.2025

1. पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नारायणखेड़ा पटवार हल्का नारायणखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या 238 में अंकित आराजी संख्या 1014 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1015 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1021 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1022 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1023 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 1024 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1025 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 124 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 835 रकबा 0.29 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.35 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2076 तक साथ प्रस्तुत है।
2. इसी प्रकार ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या 558 में अंकित आराजी संख्या 324 रकवा 1.38 है0, आराजी संख्या 355 रकबा 1.14 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.52 है0 भूमि दर्ज है। प्रमाण नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण के नाम कलम संख्या 1 में अंकित ग्राम नारायणखेड़ा के खाता संख्या 238 में मुकेश पिता तुलसीराम व श्यामुड़ी पत्नि तुलसीराम तथा ग्राम नाहरी के खाता संख्या 558 में प्रार्थीगणो के पिता का नाम मितेश कुमार पिता तुलसीराम व श्यामुबाई पत्नि तुलसीराम अंकित है जो कि राजस्व रेकार्ड में गलत अकंन कर दिया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

3. राजस्व ग्राम नारायणखेड़ा में मुकेश पिता तुलसीराम व श्यामुड़ी पत्नि तुलसीराम के नाम से कोई नही है। मितेश पिता तुलसीराम व श्यामु पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण के नाम प्रार्थीगण के अन्य सरकारी दस्तावेजों है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नारायणखेड़ा की राजस्व खाता संख्या 238 में अंकित आराजियात में मुकेश पिता तुलसीराम ब्राहम्ण व श्यामुडी पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण व ग्राम नाहरी के खाता संख्या 558 में दर्ज रेकार्ड नाम मितेशकुमार पिता तुलसीराम ब्राहम्ण व श्यामु बाई पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण के बजाय ग्राम नारायणखेड़ा के खाता संख्या 138 व ग्राम नाहरी के खाता संख्या 558 में मितेश पिता तुलसीराम व श्यामु पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण के नाम से दुरस्ती कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावे।

4. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में में विपक्षी तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

5. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम नारायणखेड़ा के जमाबन्दी खाता संख्या 238 के आराजी संख्या 1014 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1015 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1021 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1022 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1023 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 1024 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1025 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 124 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 835 रकबा 0.29 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.35 है0 भूमि मुकेश पुत्र तुलसीराम 1/10 श्यामडी पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण दर्ज रेकार्ड है। इस नाम का व्यक्ति ग्राम नारायणखेड़ा में नही है इनका सही नाम मितेश पुत्र तुलसीराम व श्यामु पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण है। उक्त भूमि पर हिस्से अनुसार प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थीगणो के नाम ग्राम नाहरी के खाता संख्या 558 के खसरा संख्या 324 रकबा 1.38 है0, आराजी संख्या 355 रकबा 1.14 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.52 है0 भूमि में मितेशकुमार पुत्र तुलसीराम 1/5 श्यामुबाई पत्नि तुलसीराम 1/5 ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा दर्ज रेकार्ड है जो सही है। अतः राजस्व रेकार्ड में ग्राम नारायणखेड़ा के खाता संख्या 238 में मुकेश पिता तुलसीराम, श्यामडी पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण के बजाय मितेश पुत्र तुलसीराम, श्यामु पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण सही किया जाना उचित है।

6. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण का नाम ग्राम नारायणखेड़ा में अंकित खाता संख्या 238 में मुकेश पिता तुलसीराम ब्राहम्ण व श्यामुडी पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण व ग्राम नाहरी के खाता संख्या 558 में मितेशकुमार पिता तुलसीराम ब्राहम्ण व श्यामु बाई पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण के बजाय उक्त दोनो खातों में मितेश पिता तुलसीराम व श्यामु पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण के नाम दुरस्ती कराये जाने का निवेदन किया गया।

7. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थीगण का नाम रेकार्ड व अन्य दस्तावेजो के अनुसार मितेश पुत्र तुलसीराम व श्यामु पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण के नाम से है तथा प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में ग्राम नारायणखेड़ा के खाता संख्या

सहायक कलक्टर

238 में मुकेश पिता तुलसीराम व श्यामुडी पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण व ग्राम नाहरी के खाता संख्या 558 में मितेश कुमार पिता तुलसीराम व श्यामुबाई पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण के नाम दर्ज हो रखा है जो एक लिपिकीय त्रुटी है। जो नाम अन्य रेकार्ड में दर्ज उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज होना चाहिए जो नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसको स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का नारायणखेड़ा के ग्राम नारायणखेड़ा के राजस्व खाता संख्या 238 में अंकित मुकेश पिता तुलसीराम व श्यामुडी पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण के बजाय मितेश पुत्र तुलसीराम व श्यामु पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण एवं राजस्व ग्राम नाहरी के खाता संख्या 558 में मितेश कुमार पिता तुलसीराम व श्यामुबाई पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण के बजाय मितेश पुत्र तुलसीराम व श्यामु पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार संशोधित किया जावे.। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
(एस.डी.ओ.) रायपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 03/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/62

अनवान

1. मितेश पिता तुलसीराम ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. श्यामु पत्नी तुलसीराम ब्राहम्ण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

दिनांक 29.08.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का नारायणखेड़ा के ग्राम नारायणखेड़ा के राजस्व खाता संख्या 238 में अंकित मुकेश पिता तुलसीराम व श्यामुडी पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण के बजाय मितेश पुत्र तुलसीराम व श्यामु पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण एवं राजस्व ग्राम नाहरी के खाता संख्या 558 में मितेश कुमार पिता तुलसीराम व श्यामुबाई पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण के बजाय मितेश पुत्र तुलसीराम व श्यामु पत्नि तुलसीराम ब्राहम्ण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार संशोधित किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 29.08.2025 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा